N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0181 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 27/08/2024 13:12 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 23/02/2024 **Date To (दिनांक तक):** 06/03/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:50 बजे **Time To (समय तक):** 09:15 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 27/08/2024 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 27/08/2024 13:12:58 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 180 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** DABLANA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAMBHRAT

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BADRILAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1989 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	TISHULIYA, HINDOLI, HINDOLI, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	TISHULIYA, HINDOLI, HINDOLI, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SUNIL KUMAR PARJAPAT		पिता:MOHANLAL	1. HARIPURA NAYAGAON,Sadar Bundi,BUNDI,RAJASTHAN,INDI

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	अन्य	विविध	रिश्वती राशि की मांग करना	

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय हालात इस प्रकार है कि दिनांक 23.02.2024 समय 01○:50 पी.एम. को श्री विजय स्वर्णकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक चन्द्रकवंर को अपने कक्ष में बुलाकर, वहां पूर्व से बैठे हुऐ परिवादी श्री रामभरत पुत्र श्री बद्रीचन्द जाति बैरवा उम्र 35 साल निवासी-ग्राम त्रि'kqलिया, तहसील हिण्डोली, थाना हिण्डोली थाना हिण्डोली जिला बुंदी से परिचय करवाया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत एक हस्तलिखित रिपोर्ट सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु आदेf'kत किया। मन् पुलिस निरीक्षक, मय परिवादी श्री रामभरत द्वारा पेष f'kकायत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, जो इस आ'kय की है कि " मैं रामभरत पुत्र श्री बद्रीचन्द जाति बैरवा उम्र 35 साल निवासी-ग्राम त्रि' kqलिया, तहसील हिण्डोली, थाना हिण्डोली थाना हिण्डोली जिला बुंदी का रहने वाला हुW मेरे पास दो ट्रेक्टर हैं जिनका उपयोग मै अपनी साईड में व दूसरो के किराये से मैटेरियल सप्लाई में करता हु मेरे ट्रेक्टर चलाने के एवज में थाना दबलाना में पदस्थापित सुनील कांस्टेबल रि'वत राf'k पॉच हजार की मॉग करता हैं मेरी सुनील कानि से कोई पुरानी रंजि'k, लेन देन बकाया नही हैं मैं अपने जायज काम के बदले सुनील कांस्टेबल को रि'वत नही देना चाहता हु तथा रि'वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हु प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने की कृपा करें।" इत्यादि ls परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर उक्त f' kकायती प्रार्थना पत्र स्वयं का हस्तलिखित होना बताया मजमून तहरीर व मजीद दरियाफत से मामला रि'वत मांग का होने से भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रि'वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आव'क होने से अग्रिम कार्यवाही अमल मे लायी जावेगी। दिनांक 23.02.2024 समय 02.30 पी.एम. पर परिवादी ने बताया कि अभी आरोपी से सम्पर्क नही हो पाया हैं वह फोन भी नही उठा रहा हैं। मैं आरोपी से सम्पर्क होने पर आपको जरिये मोबाईल सुचित कर दुंगा। जिस पर परिवादी को गोपनीयता भंग नही करने की हिदायत की गई तथा कार्यालय से रूखसत किया गया। दिनांक 06.03.2024 समय 01.00 पी.एम. पर परिवादी द्वारा आरोपी से सम्पर्क होने के बारें में जानकारी दी हैं परिवादी ने कार्यालय रिकार्डर लेने आने से आरोपी को समय लगने से 'kक होने की बात बताई हैं जिस पर श्री गोपाललाल एएसआई को कार्यालय हाजा के मालखाने मे रखे डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को निकलवाया जाकर रि'वत मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु पुलिस थाना दबलाना जिला बुंदी रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 06.03.2024 समय 09.15 पी.एम. पर श्री गोपाललाल एएसआई ने जरिये मोबाईल मन पुलिस निरीक्षक से परिवादी रामभरत की बात करवाई तो उसने बताया कि मैंने कानि सुनील से ट्रेक्टर चलाने के एवज में बन्धी की राf'k के बारें में बात की तो उसने इन्चार्ज से पैसे पुछने की बात कही हैं उसके बाद वह मुझे बुलाकर पैसे बतायेगा। मेरे साथ वार्तालाप करते हुये उसने सब्जियॉ,सोडा और बियर खरीदी थी जिसके पैसे उसने मुझसे मांगे तो मुझे मजबुरन देने पडे तथा उसने मुझसे तानसेन गुटका और लहसुन वाले नमकीन मंगवाई थी जिसके पैसे भी मुझे ही देने पडे। परिवादी ने बताया कि समय रात्रि का होने से मैं अभी कोटा नही आ सकता, दिन में आ जाउंगा। अतः श्री गोपाललाल एएसआई को हिदायत की गई कि वो सुरक्षित रिकार्डर लेकर कार्यालय आये। दिनांक 07.03.2024 समय 01.10 ए.एम. पर श्री गोपाललाल एएसआई कार्यालय हाजा उपस्थित आये तथा बताया कि परिवादी ने रात्रि का समय होने से अभी कोटा आने में असमर्थता जाहिर की हैं अतः परिवादी अपने घर ही रूक गया हैं। श्री गोपाललाल एएसआई ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड बन्द हालत में मन् पुलिस निरीक्षक को पे'k कर बताया कि आपके कार्यालय से रवाना होकर मै पुलिस थाना दबलाना से एक किमी पहले परिवादी श्री रामभरत से मिला और हम दोनो पुलिस थाना दबलाना के पास गये और परिवादी ने आरोपी से सम्पर्क किया और मैंने वही अपनी उपस्थिति छिपा ली थी। कुछ देर में आरोपी परिवादी के पास आया। मैने आरोपी के आने से पहले ही डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड चालू कर लिया था और जो भी वार्ता हुई वह इस रिकार्डर में रिकार्ड हो गई हैं परिवादी ने बताया था कि आरोपी ने पैसे की मांग तो की है परन्तु कितने पैसे लेगा ये बाद में बताने की बातचीत हुई हैं आरोपी ने परिवादी को सम्पर्क करके पैसे बताने की बात की हैं। आरोपी ने पुर्व में कई बार पैसे के लेने देन की बात अपने वार्तालाप में स्वीकार की हैं श्री गोपालाल एएसआई द्वारा पे'k डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड उक्त वार्ता को सुना गया तो परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता तकनीकी कारणो से मेमोरी कार्ड में रिकार्ड नही होकर सिर्फ डिजीटल वाईस रिकार्डर में ही रिकार्ड हुआ है जिसमें रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो श्री गोपाललाल एएसआई के कथनो की ताईद हुई। सत्यापन वार्ता में आरोपी द्वारा रि'वत की मांग की गई हैं

किन्तु कितने रूपये रि'वत के तौर पर लेने है यह बात आरोपी द्वारा नही बताई तथा यह कहा कि जो औरो से लेते है उससे कम ही लेंगे तथा मैं ये बात इन्चार्ज साहब से पुछकर बता दुंगा। अतः रि'वत में लिये मांगी जाने वाली राf'k के सम्बन्ध में पुनः सत्यापन करवाया जावेगा। समस्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो कोटा को निवेदन किये गये। दिनांक 05.04.2024 समय 02.00 पी.एम. पर परिवादी द्वारा आरोपी से सम्पर्क होने के बारें में जानकारी दी हैं परिवादी ने कार्यालय से रिकार्डर लेकर किसी को भिजवाने एवं समय की समस्या होना बताया हैं जिस पर श्री अभिषेक कानि 197 को कार्यालय हाजा के मालखाने मे रखे डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को निकलवाया जाकर रि'वत मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु पुलिस थाना दबलाना जिला बुंदी रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 05.04.2024 समय 08.33 पी.एम. पर श्री अभिषेक कानि 197 ने मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर परिवादी रामभरत से वार्ता करवाई तो परिवादी ने बताया कि उसकी आरोपी कानि सुनील से रि'वत के सम्बन्ध में वार्ता हो गई है जिसमें बारह हजार रूपये रि'वत की मांग की हैं किन्तु पता नही रिकार्डर में वार्ता कैसे रिकार्ड नही हो पाई हैं। इस सम्बन्ध में श्री अभिषेक कानि से वार्ता की तो उसने परिवादी के कथनो की ताईद की। परिवादी ने बताया कि समय रात्रि का होने से मैं अभी कोटा नही आ सकता, दिन में आ जाउंगा। अतः श्री अभिषेक कानि को हिदायत की गई कि वो सुरक्षित रिकार्डर लेकर कार्यालय आये। दिनांक 05.04.2024 समय 11.00 पी.एम. पर श्री अभिषेक कानि 197 कार्यालय हाजा उपस्थित आये। श्री अभिषेक कानि 197 ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड बन्द हालत में मन् पुलिस निरीक्षक को पे'k कर बताया कि आपके कार्यालय से रवाना होकर मै पुलिस थाना दबलाना से पहले ही परिवादी श्री रामभरत से मिला और हम दोनो पुलिस थाना दबलाना के पास गये और परिवादी ने आरोपी से सम्पर्क किया और मैंने वही अपनी उपस्थिति छिपा ली थी। कुछ देर में परिवादी आरोपी के पास गया। मैने आरोपी के आने से पहले ही डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड चालू कर लिया था परन्तु रिकार्डर के बन्द होने से वार्ता रिकार्ड नही हो पाई हैं। परिवादी ने आरोपी से सम्पर्क होने पर कार्यालय में सुचित करने की बात कही हैं। जिस पर रिकार्डर को लेपटॉप में लगाया जाकर चैक किया गया तो उसमें रिकार्डिग नही होना पायी गई। फर्द प्राप्ति डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। प्रकरण में समस्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो कोटा को निवेदन किये गये। दिनांक 8.04.2024 समय 10.23 ए.एम. पर परिवादी श्री रामभरत ने मन पुलिस निरीक्षक से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया एवं बताया कि मेरे द्वारा आरोपी कानि सुनील को कॉल किया गया था उसका मोबाईल बन्द आ रहा हैं। मैनें थाने में भी पता किया तो वह थाने में भी नही हैं मैं आपको मोबाईल पर सम्पर्क होने पर सुचित कर दुंगा। दिनांक-10.04.2024 समय -02.44 पी.एम. पर परिवादी श्री रामभरत ने मोबाईल से सम्पर्क करके आरोपी के सम्पर्क में नही हो पाने की जानकारी दी हैं परिवादी ने आरोपी से मोबाईल पर सम्पर्क होने पर सुचित करने की बात कही हैं। दिनांक-17.04.2024 समय -01.14 पी.एम. पर परिवादी श्री रामभरत ने जरिये मोबाईल सम्पर्क करके मन पु नि को बताया कि मैं कानि. सुनील के पास गया था लेकिन वह थाने में नही मिला। मैने पता किया तो वह चुनाव डयुटी में बाहर गया हुआ हैं जब भी वह वापस आयेगा मैं आपको सुचित कर दुंगा। दिनांक 30.04.2024 समय 06.19 पी.एम. पर परिवादी श्री रामभरत ने फोन करके बताया कि मैंने कानि सुनील को कई बार फोन किये लेकिन वह मेरा फोन अटेण्ड नही कर रहा हैं तथा जब भी थाने जाता हु तो वो मिलता भी नही हैं, 'kkयद उसे मुझ पर 'kक हो गया हैं अब वह मुझसे रिष्वत राf'k ग्रहण नही करेगा। वो मुझ पर दबाव बनाकर अपने निजी सामान के और 'kराब गुटके के पैसे भी दिलवाता हैं उसने मुझसे सत्यापन वार्ता के समय भी पॉच सौ रूपये मांगे थे और मुझे मजबूरन उसे पॉच सौ रूपये देने भी पडे। वह मुझसे पहले भी पैसे ले चुका है जिनके बारें में उसने सत्यापन में स्वीकार भी किया हैं इसी के आधार पर मैं मुकदमा दर्ज करवाना चाहता हु। मैं अभी पारिवारिक कार्य होने के कारण कोटा नही आ सकता हु मै आठ दस दिन में आपके पास आ जाउंगा। दिनांक 08.05.2024 समय 01.57 पी.एम. पर परिवादी रामभरत ने जरिये मोबाईल मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि कानि सुनील अब मुझसे पैसे नही लेगा क्योकि उसको मुझ पर 'kक हो गया हैं और अब ट्रेप कार्यवाही होने की कोई संभावना नही हैं मैं आपके कार्यालय में दिनांक 13.05.2024 को आउंगा। अतः गवाह के लिये पृथक से पत्र जारी किया जाकर श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 को तहरीर दी जाकर रवाना किया गया। दिनांक 08.05.2024 समय 04.00 पी.एम. पर योगेन्द्र सिहं कानि. 282 वापस आया एवं बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर जे के लोन अस्पताल पहुंचा जहॉ गवाह मुकरर करवाये जाकर वापस आया। दिनांक 13.05.2024 समय 01.00 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान श्री लेखराज मीना नर्सिंग ऑफिसर एवं श्री सुरेन्द्र कुमार मीणा नर्सिंग ऑफिसर कार्यालय हाजा उपस्थित आये हैं। स्वतंत्र गवाहान् का परिचय परिवादी श्री रामभरत से करवाकर कार्यवाही के संबंध में अवगत करवाया। दोनो स्वतंत्र गवाहान् से कार्यवाही में गवाह बनने की सहमति चाही तो दोनो गवाहान् ने अपनी मौखिक स्वीकृति दी। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने दोनो स्वतंत्र गवाहान् से परिवादी द्वारा एसीबी को दिये गये प्रार्थना पत्र को पढवाकर हस्ताक्षर करवाये। परिवादी ने कार्यवाही ड्रॉप करने बाबत प्रार्थना पत्र पे'k किया जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 13.05.2024 समय 01.10 पी.एम. पर डिजीटल वॉईस रिकार्डर को मालखाने में से निकलवाकर, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता दिनांक 06.03.2024 में परिवादी श्री रामभरत एवं आरोपी कानि. सुनील के मध्य हुई रि'0त मांग सत्यापन वार्ता, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री

आf'kक हुसैन सहायक उप निरीक्षक के द्वारा लिवाया जाकर, लेपटॉप का स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर उनके समक्ष मेरे निर्दे'kkनुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट रि'oत मांग सत्यापन वार्ता नियमानुसार तैयार की गई। जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 13.05.2024 समय 04.30 पी.एम. पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड दिनांक 06.03.2024 को परिवादी, एवं आरोपी सुनील के मध्य हुई रि'oत मांग सत्यापन वार्ता को श्री योगेन्द्र सिंह कानि 282 से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लेपटॉप में कॉपी करवाकर चार पेनड्राईव में डब करवाकर पेनड्राईव तैयार करवाये गये। जिसमें से एक पेनड्राईव को माननीय न्यायालय के लिये, एक पेनड्राईव आरोपी सुनील के लिये, एक पेनड्राईव विधि विज्ञान प्रयोग'kkला जयपुर में नमूना आवाज कार्यवाही हेतु पृथक पृथक पेनड्राईव ड्राईव को कवर में रखकर कवर सहित कपडे की थैली मे रखकर 'khल्ड मोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। सील्ड'kqदा तीनो पेनड्राईवों को मालखाना प्रभारी को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये एक लिफाफे में खुला रखवाया गया। फर्द डबिगं पृथक से तैयार करवाई जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 13.05.2024 समय 05.00 पी.एम. पर परिवादी श्री रामभरत व स्वतंत्र गवाहान श्री लेखराज मीना नर्सिंग ऑफिसर एवं श्री सुरेन्द्र कुमार मीणा को कार्यवाही पूर्ण होने पर कार्यालय हाजा से रूखसत किया गया। अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री रामभरत ने अपने दो ट्रेक्टर चलाने के बदले कानि सुनील पुलिस थाना दबलाना के द्वारा रि'oत की मांग की गई। जिस पर परिवादी रामभरत ने रि'oत मांगने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र एसीबी कार्यालय में पे'k किया। प्रार्थना पत्र के आधार पर मांग सत्यापन हेतु परिवादी की सुचना पर दिनांक 06.03.2024 को कार्यालय से सत्यापन वार्ता हेतु श्री गोपाललाल एएसआई को मय डिजीटल रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड गांव दबलाना भेजा गया जहा रि'oत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान पैसे की मांग की गई किन्तु कितने रूपये रि'oत के तौर पर लेने है यह बात आरोपी द्वारा नही बताई तथा यह कहा कि जो औरो से लेते है उससे कम ही लेंगे तथा मैं ये बात इन्चार्ज साहब से पुछकर बता दुंगा। आरोपी कानि सुनील के द्वारा अपने निजी सामान सब्जियाँ,सोडा और बियर, खरीदी थी जिसके पैसे उसने परिवादी से मांगे तो परिवादी को मजबुरन देने पडे तथा तानसेन गुटका और लहसुन वाले नमकीन भी उसने परिवादी से ही उसके पैसे से मंगवाई थी। आरोपी के द्वारा पुर्व के लेन देन के पैसे के बारें में स्वीकृति दी गई हैं। आरोपी कानि सुनील कुमार कानि. को षक होने के बाद उसने पहले मोबाईल फोन बन्द कर दिया और चुनाव डयुटी से आने के बाद 'kaक के कारण परिवादी का फोन उठाना बन्द कर दिया। परिवादी रामभरत से पैसे के सम्बन्ध में आरोपी कानि का फोन नही आने एवं परिवादी का फोन नही उठाने से परिवादी ने आरोपी के 'kaक होने से ट्रेप कार्यवाही नही की जा सकी जिसका परिवादी द्वारा कार्यवाही ड्राप करने का प्रार्थना पत्र पे'k किया। इस प्रकार आरोपी श्री सुनिल कुमार प्रजापत पु़त्र श्री मोहनलाल जाति कुम्हार उम्र 35 साल निवासी हरिपुरा नयागांव थाना सदर जिला बूंदी हाल कानि0 664 थाना दबलाना हाल पुलिस लाईन जिला बूंदी का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होना पाया गया है। अतः आरोपी सुनिल कुमार प्रजापत पु़त्र श्री मोहनलाल जाति कुम्हार उम्र 35 साल निवासी हरिपुरा नयागांव थाना सदर जिला बूंदी हाल कानि0 664 थाना दबलाना हाल पुलिस लाईन जिला बूंदी के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) मे बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेषक पुलिस भ्र0नि0 ब्यूरों राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है। (चन्द्र कँवर) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे,कोटा।.........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती चन्द्र कँवर पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,इन्टे,कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुनिल कुमार प्रजापत पु़त्र श्री मोहनलाल, उम्र 35 साल निवासी हरिपुरा नयागांव थाना सदर जिला बूंदी हाल कानि0 664 थाना दबलाना हाल पुलिस लाईन जिला बूंदी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री हरीश भारती, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 398 पर अंकित है। (ज्ञान सिहं चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 975-78 दिनांक 27.08.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2 पुलिस अधीक्षक, जिला बून्दी। 3 उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे,कोटा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** harish bharti **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,[illegible]
Date: 2[illegible]8/2024 [illegible]

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	15/07/1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)